न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट– जयपुर (ग्रामीण)

परिवाद संख्याः 02/2023 GCMS No:- 2023/195

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुनेश शर्मा पुत्र श्री सौदान सिंह (विकेता एवं मालिक)
हाल प्लाट नंबर 93, खण्डेलवाल वाटिका विस्तार, माली की कोठी,
पुलिस स्टेशन कानोता, जिला जयपुर।
मूल निवासी 27, रामविहार, कानोता, नायला रोड, जयपुर।
मोबाईल नंबरः– 9269928483

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 29/09/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी 29.11.2019 को दोपहर 06.00 पी.एम. पर पुलिस थाना कानोता द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना एवं मौके पर दी गई तहरीर पर प्लांट नंबर 93 खण्डेलवाल वाटिका विस्तार, माली की कोठी, पुलिस स्टेशन कानोता, जिला जयपुर पहुंचा। वहां पर श्री मुनेश शर्मा पुत्र श्री सौदान सिंह (विकेता एवं मालिक) उपस्थित थे। श्री मुनेश शर्मा को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मुनेश शर्मा ने स्वयं को अपनी फर्म का विकेता एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री मुनेश शर्मा से वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने स्वयं का आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री मुनेश शर्मा पुत्र श्री सौदान सिंह (विकेता एवं मालिक) प्लाट नंबर 93, खण्डेलवाल वाटिका विस्तार, माली की कोठी, पुलिस स्टेशन कानोता, जिला जयपुर का निरीक्षण करने पर यहां लोहे के 16 टिन घी प्रत्येक में 15 किलोग्राम) कुल 240 किलोग्राम घी आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इनमें मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 टिन में से 800 ग्राम घी (लूज) खरीदकर उसकी कीमत 90/– रूप्ये विकेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अर्जुन तथा श्री आलोक टांक के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर परिवादी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुनेश शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विकेता श्री मुनेश शर्मा को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5ए एवं रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (लूज) को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे प्लास्टिक के जार दिखाकर उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

खरीदशुदा 800 ग्राम घी (लूज) को प्रत्येक जार में बराबर–बराबर डाला तथा प्रत्येक प्लास्टिक के जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया। लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक **AN-1871** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर **AN-1871** नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 800 ग्राम घी (लूज) नमूना लेने के उपरान्त शेष बचे घी 239.2 किलोग्राम को जब्त कर सीज किया तथा सीज किये माल को विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। सीजर मीमो फार्म–।। एवं फार्म–।।। की छायाप्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 326 दिनांक 17.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 3019 / एक्ट / 2019 / 2547 दिनांक 12.12.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ घी (लूज) अनसेफ होना पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2.4.6(1) के तहत नमूने की जांच से असंतुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में आवेदन कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिंहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में आवेदन कर पुनः जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट संख्या **RFL/DO/74/20/166/2020** दिनांक 25.02.2020 के अनुसार खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना घोषित किया गया एवं रिपोर्ट की प्रति मय अग्रेषण कमांक 206 दिनांक 01.06.2020 द्वारा खाद्य करोबारकर्ता को भिजवाते हुए मुझे दी गयी जिसकी प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (ग्रामीण) जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्रांक एफएसएसए/2020/394 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी/अभियुक्त को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता को कई अवसर दिये जाने के पश्चात अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। पत्रावली बहस में नियत की गयी। पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ घी (लूज) का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 52 में निहित निर्धारित है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया है जिसके पश्चात रेफरल लेबोरेट्री में खाद्य पदार्थ घी (लूज) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी–अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)